

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान, जयपुर

PHED, Jhunjhunu द्वारा **ITJSK package drinking water project** कार्य हेतु झुञ्जूनू जिले की चिरानी ग्राम में 0.5662 हेक्टर वन क्षेत्र के लिए online पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वेबपोर्टल OSMFWCP पर प्रस्ताव सं. FP/RJ/WATER/13768/2015 को रजिस्टर किया गया था। मुख्य वन संरक्षक जयपुर से प्राप्त प्रस्ताव में पार्ट I, पार्ट II एवं पार्ट III का परीक्षण करने पर निम्नानुसार टिप्पी प्रस्तुत है :—

1. प्रस्ताव में वन अधिकार अधिनियम 1980 के अंतर्गत जारी प्रमाण पत्र को पार्ट I में अपलोड नहीं किया गया है। हार्ड प्रति के साथ प्रमाण पत्र संलग्न किया गया था किन्तु इसमें उप खण्ड स्तरीय बैठक कार्यवाही विवरण, जिला स्तरीय बैठक कार्यवाही विवरण, ग्राम सभा स्तरीय बैठक कार्यवाही विवरण संलग्न नहीं किये गये हैं। जो किये जाने अपेक्षित है।
अतः उक्तानुसार पायी गयी कमियों /टिप्पणियों की पूर्ति कर उप वन संरक्षक/यूजर ऐजेन्सी से कराये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
- 2- प्रस्ताव में हार्ड प्रति प्रस्तुत की गई है किन्तु इसमें वन अधिकार अधिनियम 1980 से संबंधित दस्तावेज अपूर्ण है एवं इसमें इंडेक्सिंग भी नहीं की गई है। जो प्रस्तावित है।